राजस्थान जयपुर
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः प.15/1(32)गृह–9/61 पार्ट जयपुर, दिनांक : 28 अगस्त, 2012

–:: आज्ञा ::–

विषयः– मूल निवास (Bonafide) प्रमाणपत्र।

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14–11–1968, 11–01–1974, 20–05–1978, 07–09–1978, 10–04–1990 एवं 01–07–2006 द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है :–

1. जिला कलक्टर
2. उप खण्ड अधिकारी
3. सहायक जिलाधीश
4. तहसीलदार

विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10–04–1990 द्वारा विनिश्चित किया गया है कि मूल निवासी वह होगा जो स्वंय या उससे माता–पिता राजस्थान में 10 वर्षो से अधिक समय से रह रहा/रहे हो। निवास का साक्ष्य निम्न प्रकार होगा जिनमे से किसी भी एक साक्ष्य की पूर्ति हेतु उससे संबंधित दस्तावेज ही संलग्न करने होगे :–

क्र. सं.	साक्ष्य	साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज
1.	राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता–पिता इस राज्य के मूल निवासी हो,	• माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या • लगातार 10 वर्षो के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक–एक) व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या • 10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस तथा अन्य फोटो पहचान पत्र
2.	उसका या उसके माता–पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक वर्षो से मकान हो और यदि उनका मकान हो और यदि उनका मकान कहीं अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप में अंगीकृत करते हो,	• माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या • लगातार 10 वर्षो के बिजली/पानी/टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक–एक) व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो

CBR/ 2500
Date/ 6-9-12

		पहचान पत्र या • 10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र
3.	वह या उसके माता–पिता 10 वर्षो या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो/रहे हो और उसे सिद्व करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा,	• माता/पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या • लगातार 10 वर्षो का किरायानामा व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र या • 10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र
4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो उपने पति के साथ राजस्थान में रहती है। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसने राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो,	• पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र तथा विवाह प्रमाण पत्र
5.	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वंय या उसके माता–पिता कार्यरत हो।	• पिता/पति के राजकीय उपक्रम में 03 वर्ष पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र व व चुनाव पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/अन्य फोटो पहचान पत्र

इन सभी कारकों पर सम्मिलित रूप से विचार करके यह निश्चित किया जाना है कि प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिये या नहीं। प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को इस बात से पूर्ण आश्वस्त होना चाहिये कि आवेदक वस्तुतः राजस्थान का निवासी है या नहीं इसके लिये आवेदक से शपथपत्र प्राप्त करना होगा और इस हेतु दो उत्तरदायी व्यक्तियों जैसे संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, समस्त अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस) आदि के प्रमाणपत्र प्राप्त किये जाने होगें।

अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP) के लिए जारी किये जाने वाले मूल निवास–प्रमाण पत्रों पर "अनुसूचित क्षेत्र" अंकित किया जायेगा। (विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29–01–2008)

राज्य सरकार की तरफ चलाये जाने वाले सभी अभियानों जैसें प्रशासन शहरों के संग या प्रशासन गांवों के संग में बनाये जाने वाले सभी मूल निवास प्रमाण पूर्णतया मान्य होगें।

कोई भी अभ्यार्थी एक ही बार मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकेगा। लेकिन निम्न परिस्थितियों में पुनः उसी स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की दोहरी प्रति

(Duplicate Copy), संशोधित प्रमाण–पत्र एवं नवीनीकृत प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता है :–

1. प्रमाण–पत्र गुम हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या खराब हो जाने पर दोहरी प्रति।
2. प्रमाण पत्र में नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रमाण पत्र।
3. आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नवीन फोटो के साथ नवीनीकृत प्रमाण पत्र (उक्त नवीनीकृत प्रमाण पत्र दस वर्ष के उपरान्त ही जारी किया जा सकेगा)

अतः तदनुसार मूल निवास प्रमाण पत्र का आवेदन पत्र व जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार को उनके कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले निवासियों को मूल निवास का प्रमाणपत्र उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखकर जारी करें। प्रमाण–पत्र पर किसी अधिकारी के प्रति–हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

संलग्न :

1. मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
2. जारी किया जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

राज्यपाल की आज्ञा से,

— ह० —

शासन उप सचिव,
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल कार्यालय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान को भेजकर लेख है कि उक्त आज्ञा की प्रति समस्त सहायक जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदारों को प्रेषित करावें।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेजकर लेख है कि सभी समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशित करावें।
10. शासन उप सचिव, गृह (समन्वय) विभाग को गृह विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

फोटो

I

1. प्रार्थी का नाम..
2. पिता / पति का नाम...
3. वर्तमान स्थायी पता..

   ....
4. पिता / पति का मूल स्थान..
5. पिता / पति का व्यवसाय...
6. पिता / पति के व्यवसाय का पता...

   ....
7. जन्म स्थान...
8. जन्म दिनांक...
9. आपने किस कक्षा तक और कहां तक शिक्षा प्राप्त की

शिक्षण संस्थान का नाम

स्थान

कक्षा 1 से 9 ....

10 वीं ....

12 वीं ....

स्नातक ....

स्नातकोत्तर ....

अन्य ....

10. स्वयं / पिता की अचल सम्पत्ति का विवरण मय स्थान..
11. क्या मतदाता सूची में स्वयं का / पिता / पति का नाम है हॉं / नहीं
12. आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षो से रहा रहा है......
13. मोबाईल नंम्बर...

(स्वयं का या अन्य का जिस पर प्रार्थी आवेदन से संबंधित सूचना चाहता है)

II महिला के लिए

1. क्या आप विवाहित है ?..
2. आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ ?..........

   ....
3. क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है.........
4. आप अपने पति के साथ कब से एवं किस स्थान पर रह रही है...

   ....

मैं तसदीक करता / करती हूँ कि उपरोक्त मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही है। **(मुझे इस तथ्य की पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ–पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)**

दिनांक :..............................

स्थान :.............................. प्रार्थी के हस्ताक्षर

किसी भी एक साक्ष्य पर सही का निशान लगावे और उससे संबंधित दस्तावेज संलग्न करे:–

क्र. सं.	साक्ष्य	साक्ष्य हेतु संलग्न दस्तावेज
1.	राजस्थान में पैदा हुआ हो और उसके माता–पिता इस राज्य के मूल निवासी हो.	• माता / पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या • लगातार 10 वर्षो के बिजली / पानी / टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक–एक) व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या • 10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र
2.	उसका या उसके माता–पिता का राजस्थान में 10 वर्ष या अधिक वर्षो से मकान हो और यदि उनका मकान हो और यदि उनका मकान कहीं अन्यत्र हो तो वे राजस्थान हो यह राज्य के रूप में अंगीकृत करते हो.	• माता / पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या • लगातार 10 वर्षो के बिजली / पानी / टेलीफोन के बिल (प्रत्येक वर्ष का एक–एक) व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र या • 10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र
3.	वह या उसके माता–पिता 10 वर्षो या अधिक से किराये के मकान में रह रहा हो / रहे हो और उसे सिद्ध करने हेतु किरायानामा प्रस्तुत किया जा सकेगा.	• माता / पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र • लगातार 10 वर्षो का किरायानामा व चुनाव पहचान पत्र / अन्य फोटो पहचान पत्र पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस • 10 वर्षो के लगातार शिक्षण प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र
4.	उन महिलाओं की दशा में जो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है और ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो राजस्थान का मूल निवासी है और जो उपने पति के साथ राजस्थान मे रहती है। सामान्यतया राजस्थान का मूल निवासी मान ली जायेगी चाहे उसने राजस्थान में अपने 10 वर्ष के निवासी की शर्त पूरी न की हो.	• पति का मूल निवास प्रमाण पत्र व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र तथा विवाह प्रमाण पत्र
5.	राज्य सरकार या राजस्थान सरकार के राजकीय उपक्रम में तीन वर्ष से स्वयं या उसके माता–पिता कार्यरत हो। (उक्त साक्ष्य अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र (TSP) के लिए लागू नहीं होगा)	• पिता / पति के राजकीय उपक्रम मे 03 वर्ष पदस्थापित रहने का प्रमाण पत्र व व चुनाव पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / अन्य फोटो पहचान पत्र

उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन

(1) मै...पुत्र / पुत्री / पत्नी..
निवासी...राजकीय सेवा...पद
पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी / प्रार्थीयां श्री / श्रीमती...............
..........................पुत्र / पुत्री...निवासी..
..........................को भली भांति जानता हूँ यह................वर्षो से उक्त निवास जिला.............
.........राजस्थान में निवास कर रहा / रही है।

(हस्ताक्षर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

(2) मै...पुत्र / पुत्री / पत्नी..
निवासी...राजकीय सेवा...पद
पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि प्रार्थी / प्रार्थीयां श्री / श्रीमती...............
..........................पुत्र / पुत्री...निवासी..
..........................को भली भांति जानता हूँ यह................वर्षो से उक्त निवास जिला.............
.........राजस्थान में निवास कर रहा / रही है।

(हस्ताक्षर द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति)

नोट :– आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न करे :–

1. आवेदक के दो **नवीनतम** फोटो जिसमें से एक फोटो आवेदन पत्र पत्र चिपकाएं (स्टेपल नहीं करें) तथा दूसरी फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
2. संबंधित शपथ पत्र। **(शपथ–पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है।)**
3. साक्ष्य के अनुसार जो साक्ष्य लागू हो उससे संबंधित दस्तावेज।
4. उत्तरदायी व्यक्ति (संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस)) का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।

कार्यालय उपयोग के लिए

आवेदन जांचकर्ता की रिपोर्ट :–

1. प्रार्थी द्वारा भरा विवरण। (महिलाओं के लिए I & II) सही एवं पूर्ण है। हाँ / नहीं
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संलग्नक पूर्ण एंव सही है। हाँ / नहीं
   यदि नहीं तो विशेष विवरण
   ....
   ....
   प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी को मूल निवास दिया जाना उचित है / अपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाता है।
   आवेदन पत्र पर आपत्तियाँ...
   ....

हस्ताक्षर लिपिक

मूल निवास जारी करने हेतु आदेश

1. प्रस्तुत शपथ–पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर मूल निवास जारी करने के आदेश जाते है।
2. आवेदन पत्र हस्ताक्षर अपूर्ण होने के कारण / अन्य कारण..
   ....खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षर अधिकारी

(शपथ पत्र पाईपेपर पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाना होगा)

(शपथ–पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है)

शपथ पत्र

मै...पुत्र/पुत्री श्री...

निवासी...

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :–

1. यह है कि मैं.. का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि मैं वर्तमान में उक्त पते पर निवास कर रहा हूँ।
3. यह है कि मेरी समस्त शिक्षा.. की है।
4. यह है कि मैने अभी अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
5. यह है कि मैं यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(नाबालिग होने की दशा में)

मै...पुत्र/पुत्री श्री...

निवासी ....

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :–

1. यह है कि मै.. का मूल निवासी हूँ।
2. यह है कि ....मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री है, जो नाबालिक है इस कारण से यह शपथ पत्र में अपनी और से पेश कर रहा हूँ जिसकी आयु करीबन .... वर्ष है।
3. यह है कि मेरे उक्त पुत्र/पुत्री का जन्म.. में ही हुआ है।
4. यह है कि मेरा पुत्र/पुत्री की शिक्षा का अध्ययन भी.................................... कर रहा है।
5. यह है कि मैनें उपरोक्त का मूल निवास प्रमाण–पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नहीं बनवाया है।
6. यह है कि मेरे को अपने पुत्र/पुत्री का मूल निवास प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

(विवाहित महिलाओं के लिए)

मै...पत्नि श्री ....

निवासी ....

राजस्थान का हूँ व सशपथ बयान करती हूँ कि :–

1. यह कि मै विवाह पश्चात् उपरोक्त पते पर निवास करती हूँ।
2. यह है कि मेरे पति श्री.. राजस्थान का मूल निवासी है।
3. यह है कि मैने अभी अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र भारत वर्ष के किसी भी स्थान से नही बनवाया है।
4. यह है कि मै यह सशपथ पत्र अपना मूल निवास प्रमाण–पत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत कर रही है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मै उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित समस्त तथ्य सत्य एवं सही है ईश्वर मेरा साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

मूल निवास प्रमाण–पत्र की दोहरी / संशोधित / नवीनीकृत प्रति हेतु आवेदन पत्र

फोटो

मैं...पुत्र / पुत्री / पत्नी...
निवासी..को
आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक...................................दिनांक...............................द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया था। निम्न कारण से मूल निवास की संशोधित / दोहरी / नवीनीकृत प्रति जारी कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है :–

1. प्रमाण पत्र गुम हो जाने। (दोहरी प्रति)
2. प्रमाण पत्र क्षतिग्रस्त हो जाने। (दोहरी प्रति)
3. प्रमाण पत्र में संशोधन किये जाने। (संशोधित प्रति)
4. आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उक्त नवीनीकरण दस वर्ष के उपरान्त ही किया जा सकेगा)

(संबंधित पर सही का निशान लगावें)

उक्त आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें : –

1. पूर्व में जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. मूल निवास प्रमाण पत्र गुम हो जाने पर गुमशुदगी रिपोर्ट।
3. नवीनतम पासपोर्ट साईज की 02 फोटो जिसमें एक फोटो आवेदन पर चिपकाये एवं एक फोटो संलग्न करें।

प्रार्थी हस्ताक्षर

राजस्थान सरकार

कार्यालय ....

जिला–.............

फोटो

मूल निवास प्रमाण

क्रमांक : ....

दिनांक : ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....
निवास–...
.... राजस्थान का मूल निवासी है।

आज दिनांक .... को मूल निवास प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अधिकारी के हस्ताक्षर,
नाम, पदनाम व मोहर

नोट :–

1. राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग की आज्ञा क्रमांक प.15/1(32)गृह–9/61 पार्ट दिनांक 28 अगस्त, 2012 के द्वारा मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की है। उक्त परिपत्र के तहत जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, सहायक जिलाधीश व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।
2. उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, योग्यता छात्रवृत्ति के लिये आवेदन करने, केन्द्र/राज्य सेवाओं में नियोजन प्रयोजनों एवं भूमि आदि के आवंटन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
4. मूल निवास एक बार ही बनाया जावेगा। लेकिन प्रमाण पत्र गुम हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर दूसरी प्रति, प्रमाण पत्र में नाम या पता बदलने पर संशोधित प्रति तथा आयु वृद्धि के अनुसार पहचान के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उक्त नवीनीकृत प्रमाण पत्र दस वर्ष के उपरान्त ही लिया जा सकेगा) बनवाया जा सकता है।
5. सभी प्रयोजनार्थ प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतियाँ काम में ली जा सकती है।